डा०जा० पारपत्र सं० 27/2026

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक:लखनऊ:मई 02, 2026

विषयः–मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या–2195 / 2025 मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 06.11.2025 के अनुपालन में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने तथा "गिरफ्तारी मेमो" के प्रारूप में पूर्ण सूचना अंकित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय / महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या–934 / 2025 मंजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 09.04.2025 के अनुपालन में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले **"गिरफ्तारी मेमो"** तथा **"व्यक्तिगत तलाशी मेमो"** का प्रारूप निर्धारित करने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा विस्तृत अध्ययन एवं विचार–विमर्श के उपरान्त गिरफ्तारी मेमो एवं व्यक्तिगत तलाशी मेमो के नये प्रारूप तैयार किये गये। समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या तथा तैयार किये गये गिरफ्तारी मेमो एवं व्यक्तिगत तलाशी मेमो को मुख्यालय स्तर पर परीक्षण के उपरान्त विधि सम्मत पाते हुये डीजी परिपत्र संख्या–25 / 2025 दिनांकित 25.07.2025 के माध्यम से सर्वसम्बन्धित को अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हैबियस कार्पस रिट पिटीशन संख्या–35 / 2026 उमंग रस्तोगी बनाम उ0प्र0 व 03 अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में डीजी परिपत्र संख्या–08 / 2026 दिनांकित 03.02.2026 के माध्यम से नये प्रारूप में त्रुटि रहित एवं पूर्ण सूचना अंकित करते हुये गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यालय स्तर से स्पष्ट निर्देश निर्गत होने के उपरान्त भी कतिपय ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी के आधार अंकित न होने के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुये उसे निरस्त कर दिया गया है।

2– श्री विनोद कुमार शाही, अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, मा0 उच्च न्यायालय ने अपने पत्र संख्या–17 / PS / AAG / Lko दिनांकित 29.04.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रायः मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों द्वारा यह बिन्दु उठाया जाता है कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार से अवगत नहीं कराया गया है। गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी मेमों में जो कॉलम गिरफ्तारी के आधार का है, उसमे गिरफ्तारी के आधार नहीं अंकित किये जा रहे हैं। कई मामलों में गिरफ्तारी के आधार का कॉलम या तो पूर्णतया रिक्त हैं या उस कॉलम में मुकदमा अपराध संख्या अंकित की जा रही है। अनेक प्रकरणों में गिरफ्तारी मेमो में की जाने वाली उक्त त्रुटियों के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुये उसे निरस्त कर दिया गया है। विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा अपने पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि क्रिमिनल अपील संख्या–2195 / 2025 मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया तो मा0 न्यायालय द्वारा कठोर आदेश पारित करते हुये राज्य पर भारी cost लगायी जा सकती है।

.....2

3- हैबियस कार्पस रिट पिटीशन संख्या-137/2026 मनोज कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.04.2026 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार न उपलब्ध कराये जाने के आधार पर अभियुक्त मनोज कुमार की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुये निरस्त कर दिया गया है तथा राज्य पर 10 लाख रूपये की "exemplary costs" निम्नवत लगायी गयी है—

> 14. Keeping the aforesaid discussion, the writ petition is allowed. A writ of habeas corpus is issued declaring the arrest of the petitioner as illegal. The remand order dated 28.1.2026 being consequential to the illegal arrest is also set aside. The petitioner be set free provided he is not wanted in any other case. However, it would be open for the respondents to proceed in accordance with law.
>
> 15. Further, considering the illegal arrest of the petitioner since 27.1.2026 which continues even as of date i.e. 29.4.2026 and his illegal incarceration in jail being of more than three months, the Court is of the view that exemplary costs quantified at Rupees Ten Lakhs are also imposed on the State authorities.
>
> 16. The said cost shall be paid at the first instance by the State Government with the liberty to recover the same from the officials who were responsible in accordance with law. The said cost shall be paid to the petitioner within four weeks from the date of receipt of a certified copy of this order.

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा हैबियस कार्पस रिट पिटीशन संख्या-137/2026 उपरोक्त में पारित आदेश दिनांकित 29.04.2026 तथा विद्वान अपर महाधिवक्ता के उपरोक्त पत्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-2195/2025 मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 06.11.2025 का संदर्भ आया है। मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराने के सम्बन्ध में निम्नवत आदेश पारित किया गया है—

> 54. In view of the above, we hold with regard to the second issue that non supply of grounds of arrest in writing to the arrestee prior to or immediately after arrest would not vitiate such arrest on the grounds of non-compliance with the provisions of Section 50 of the CrPC 1973 (now Section 47 of BNSS 2023) provided the said grounds are supplied in writing within a reasonable time and in any case two hours prior to the production of the arrestee before the magistrate for remand proceedings.
>
> 55. It goes without saying that if the abovesaid schedule for supplying the grounds of arrest in writing is not adhered to, the arrest will be rendered illegal entitling the release of the arrestee. On such release, an application for remand or custody, if required, will be moved along with the reasons and necessity for the same, after the supply of the grounds of arrest in writing setting forth the explanation for non-supply thereof within the above stipulated schedule. On receipt of such an application, the magistrate shall decide the same expeditiously and preferably within a week of submission thereof by adhering to the principles of natural justice.
>
> 56. In conclusion, it is held that:
>
> i) The constitutional mandate of informing the arrestee the grounds of arrest is mandatory in all offences under all statutes including offences under IPC 1860 (now BNS 2023);
>
> ii) The grounds of arrest must be communicated in writing to the arrestee in the language he/she understands;
>
> iii) In case(s) where, the arresting officer/person is unable to communicate the grounds of arrest in writing on or soon after arrest, it be so done orally. The said grounds be communicated in writing within a reasonable time and in any case at least two hours prior to production of the arrestee for remand proceedings before the magistrate.
>
> iv)In case of non-compliance of the above, the arrest and subsequent remand would be rendered illegal and the person will be at liberty to be set free.

.....3

4- आप सभी अवगत है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी मेमो तैयार करने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अभियुक्त के रिमाण्ड आदेश को मा0 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, जिसका लाभ अंततः अभियुक्त को ही मिलता है, अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये उपरोक्त निर्देशों तथा पूर्व निर्गत डीजी परिपत्र संख्या-08/2026 तथा डीजी परिपत्र संख्या-25/2025 के माध्यम से दिये गये निर्देशों से समस्त विवेचकों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराते हुए **"गिरफ्तारी मेमो"** के प्रारूप की सभी सूचनायें सही-सही भरने एवं कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ने के सम्बन्ध में निर्देशित कर दें तथा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

उपरोक्तांकित निर्देशों से विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराने हेतु कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षित कराया जाए। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमित रूप से उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुये इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

विनोद कुमार शाही
अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0

उच्च न्यायालय लखनऊ

निवास बी1/58, [illegible] [illegible], [illegible], लखनऊ-226024
मोबाइल 9415040010, 9956888880
फोन 0522-2722722 (का.)

सं0 [illegible]

दिनांक [illegible]

अति आवश्यक

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

विषय—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य 2026(1)SCC500 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में समस्त थानों को अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उपरोक्त आदेश में दिए गए दिशा—निर्देशों का पालन करने हेतु।

महोदय,

प्रायः देखा जा रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के बाद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार से अवगत नहीं कराए जा रहे हैं। कई याचिकाओं में अभियुक्तों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु उठाया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं को अभियुक्त के पक्ष में निस्तारित किया गया है।

गिरफ्तारी मेमो में जो कॉलम आधार गिरफ्तारी का है, उसमें गिरफ्तारी के आधार विस्तारपूर्वक नहीं बताये जा रहे हैं, कई मामलों में यह पाया जा रहा है कि गिरफ्तारी के आधार के कॉलम या तो दुर्भाग्य रिक्त हैं या उस कॉलम में केवल मुकदमा अपराध संख्या वर्णित की जा रही है, जबकि गिरफ्तारी के आधार के कॉलम में स्पष्ट रूप से यह लिखा जाना चाहिए कि अभियुक्त की भूमिका क्या है उसके खिलाफ क्या आरोप है/क्या प्रथम दृष्टया साक्ष्य है इत्यादि, जिससे कि अभियुक्त को यह मालूम हो सके कि उसे किस आरोप के तहत किन आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि किन्हीं—किन्हीं मामलों में बी0एन0एस0एस0 के प्राविधान 36 एवं 47 के तहत अभियुक्त की गिरफ्तारी की जिन व्यक्तियों को सूचना दी जानी चाहिए/मेमो पर गवाहों के दस्तखत कराए जाने चाहिए/अभियुक्त के दस्तखत कराए जाने चाहिए इत्यादि, का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं हो रहा है। यह भी पाया जा रहा है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार विस्तार से अलग प्रपत्र पर जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि अभियुक्त का रोल क्या है/क्या आरोप है/क्या साक्ष्य है इत्यादि, अथवा प्रपत्र के द्वारा जिस प्रपत्र का नाम "गिरफ्तारी के आधार" हो उस पर नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्त बिन्दु केवल उदाहरण मात्र हैं, जिसका विस्तृत वर्णन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश में किया गया है।

उपरोक्त कानून की प्रकिया का पालन न किए जाने के कारण कई मामलों में जिसमें से कुछ का उल्लेख अंत में किया जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा या तो याची को तुरन्त रिहा करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं या राज्य सरकार पर कॉस्ट (cost) लगाये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह को नोटिस जारी की गयी है।

उपरोक्त के कम में थानाध्यक्षों/पुलिस कर्मियों को यह आदेषित किया जाए कि वे गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें, गिरफ्तारी मेमो/कारण गिरफ्तारी/ आधार गिरफ्तारी इत्यादि अक्षरशः उसी तरह तैयार किया जाए, तथा अनियुक्त को दिया जाए, जैसा कि उपरोक्त आदेश में कहा गया है।

यदि भविष्य में गिरफ्तारी के समय अनियुक्त को आदेश में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुकम के अन्यथा गिरफ्तार किया जाता है और माननीय न्यायालय द्वारा अनियुक्त के पक्ष में कोई आदेश पारित किया जाता है या राज्य सरकार पर कास्ट (cost) लगायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मदारी संबंधित की होगी।

अतः सभी सम्बंधित को अनुपालन करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें एवं थानाध्यक्षों को एवं पुलिस कर्मियों को उपरोक्त आदेश में दिए गए दिशा–निर्देशों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कार्यशाला इत्यादि का प्रबन्ध करें, एवं पुलिस अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः गिरफ्तारी के समय पालन करने एवं पूर्ण प्रकिया अपनाए जाने का निर्देश प्रदान करें, गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी कारण, गिरफ्तारी आधार अलग–अलग प्रपत्रों पर कानूनी प्रकिया के अनुसार बनाया जाए। प्रकरण अतिनहत्वपूर्ण है शीघ्रातिशीघ्र कार्यशाला का आयोजन कर पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त निर्णय के संबंध में विस्तार से बताया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका सं0– 137/2026, मनोज कुमार द्वारा मुदिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में पारित आदेश दिनांक 24/04/2026 एवं बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका सं0– 141/2026, प्रतीष खरे बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेष द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को नोटिस जारी की गई है कि क्यों न कास्ट लगा दी जाए। इसके अतिरिक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका सं0–47/2026, शिवम चौरसिया बनाम राज्य सरकार उत्तर

प्रदेश एवं बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका सं0– 117/2026, राणा अजीत प्रताप सिंह बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में में बन्दी को तुरन्त रिहा किए जाने के आदेश इस आधार पर पारित किए गए कि उनकी गिरफ्तारी कानून की प्रकिया के उल्लंघन में की गयी है, और गिरफ्तारी के समय मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य 2026(1) SCC 500 एवं शिवम चौरसिया बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश 2026 AHC-LKO-10501-DB में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय भविष्य में और कठोर आदेश पारित कर सकता है।

अतः प्रकरण को अत्यन्त गंभीरतापूर्वक प्राथमिकता पर लिया जाए एवं गिरफ्तारी के समय कानून की अवहेलना किसी भी स्थिति में न हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाए।

(विनोद कुमार शाही)
अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0।

संलग्नक:
1–बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका सं0–137/2026, मनोज कुमार द्वारा मुदित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
2–बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका सं0–47/2026, शिवम चौरसिया बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश,
3–बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका सं0–117/2026, राणा अजीत प्रताप सिंह बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश।